झारखण्ड सरकार

कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, धनबाद

सदर अस्पताल परिसर कोर्ट मोड़ धनबाद–826001

फ़ोन नम्बर–9431711098 ई–मेल cs.dhanbad@gmail.com

प्रेस विज्ञप्ति

सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से अधिकतम Claim की राशि प्राप्त कर सदर अस्पताल धनबाद के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को Indian Public Health के मानक के अनुरुप करने के लिए अस्पताल प्रबंधन हेतु दिशा–निर्देश विभागीय ज्ञापांक–58(21) दिनांक–11.04.2025 द्वारा निर्गत है। उक्त दिशा–निर्देश के आलोक में झारखण्ड राज्य अन्तर्गत सदर अस्पताल धनबाद में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा Consultant के रूप में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पैनल निर्माण हेतु Expression of Interest आमंत्रित किए जाते है। यह विज्ञप्ति विशेषज्ञ चिकित्सकों के पैनल निमार्ण हेतु जारी किया किया जा रहा है। यह प्रकिया किसी निश्चित अवधि तक सीमित न होकर सतत् (Continue) जारी रहेगी, जिससे इच्छुक चिकित्सक किसी भी समय आवेदन कर सकते है।

चयन समिति द्वारा पैनल को आवश्यकतानुसार अनुमोदित किया जायेगा। तदोपरांत संबंधित अस्पताल द्वारा इनसे सेवा ली जायेगी।

निम्नांकित विशेषज्ञता विभागों हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें Consultant के रूप में वांछित हैं:–

क्र0	विशेषज्ञता विभाग का नाम
1	Medicine (Physician)
2	Aneshthetist

2. आवश्यक योग्यता एवं आयु सीमा :–
   a) विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में Consultant के लिए– MBBS, MD/MS/DNB (Specialty)
3. पैनल निर्माण एवं चयन प्रक्रिया :–
   a) इच्छुक चिकित्सकों का चयन–Walk-in-Interview के माध्यम से किया जाएगा।
   b) योग्य चिकित्सकों की सूची तैयार कर पैनल में शामिल किया जाएगा।
   c) अस्पताल आवश्यकतानुसार उनसे सेवाएँ प्राप्त करेगी।
   d) यह प्रक्रिया निरंतर (Rolling basis) पर जारी रहेगी अर्थात इच्छुक चिकित्सक कभी भी आवेदन कर सकते है और निर्धारित तिथियों पर आयोजित साक्षात्कार में भाग ले सकते है।
   e) सरकारी नौकरी में कार्यरत चिकित्सक इन पदों के लिए योग्य नहीं होंगे।

5. सेवा की शर्त एवं **Remunerations** –

(क) अतिविशेषज्ञ / विशेषज्ञ चिकित्सकों (Superspeciality /Specialty Consultants) की ली जाने वाली सेवाओं के लिए विभागीय संकल्प सं0–58(21) दिनांक–11.04.2025 के कंडिका–08 में निहित प्रावधान के अनुसार विशेष चिकित्सकों को 300 रू0 प्रति मरीज पारिश्रमिक देय होगा, परन्तु

यह राशि प्रति विशेषज्ञ चिकित्सक प्रतिमाह 4,00,000/–(चार लाख) से अन्यून होगी तथा इस सबंध में राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला संशोधन स्वतः प्रभावी होगा।

(ख) Consultant चिकित्सकों की सेवा का मूल्यांकन उनके Performance के आधार पर समय–समय पर किया जायेगा। Performance असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित चिकित्सकों को पैनल से बाहर करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. Walk-In-Interview का स्थान :– उपायुक्त कार्यालय धनबाद में प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को अपराह्न 12:30 बजे साक्षात्कार हेतु निर्धारित की जाती है। (अवकाश की स्थिति मे उसके अगले दिन साक्षात्कार की जाएगी।

7. सभी इच्छुक उम्मीदवार अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन पत्र में अंकित सभी वांछित सूचनाएँ पूर्ण रूपेण भरकर, सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं स्थान पर ससमय वाक–इन–इन्टरव्यू में उपस्थित होंगे।

8. इस विज्ञापन को स्थगित करने, किसी आवेदन को बिना कोई कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं रिक्ति के अवशेष रहने की अवस्था में पुनः विज्ञापन प्रकाशित करने का सर्वाधिकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सुरक्षित रहेगा।

9. उक्त से संबंधित जानकारी के लिए वेवसाईट–www.dhanbad.nic.in पर देखा जा सकता है।

3/7/25

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, धनबाद